बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना।

पटना, दिनांक– 28.3.18

एस0 ओ0– दिनांक– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची–1(ब)के स्तंभ–2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची –1(ब) के स्तभं –02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची–1(अ) के स्तंभ–01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा–2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ–04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची–1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001–100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960–100)
जुलाई,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अगस्त,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
सितम्बर,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अक्टूबर,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
नवम्बर,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
दिसम्बर,,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
			योग :– 39169.22

औसत - **39169.22**÷6 = 6528.20

अनुसूची–। (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम		कुल
69 नियोजन– सामान्य कार्य	**अधिसूचना संख्या** –4835, 4836 दिनांक– 15.09.2017 गजट सं0–858 दि0–19.09.2017	**69– अनुसूचित नियोजन**

(1) कॉ–ऑपरेटिव सेक्टर – (2) अल्मुनियम उधोग (3) खंडसारी उधोग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उधोग (5) साबुन निर्माण उधोग (6) सिमेन्ट प्री–स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उधोग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उधोग (8) ग्लास शीट निर्माण (9)बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उधोग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उधोग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उधोग– (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगेरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उधोग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग

(26) प्लाईउड उधोग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्यूब निर्माण उधोग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उधोग (29) रबड एवं कम्पाउंड उधोग (30) बिस्कुट उधोग (31) कोल ब्रिकेट उधोग (32) सिलाई उधोग– (33) हैंडलूम उधोग–(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स– (35) डिस्ट्रीलरीज– (36) प्लास्टिक उधोग– (37) मिनरल ग्राईडिंग उधोग (38) शीशा उधोग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश– (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं–(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल– (43) तेल मिल– (44) मुद्रणालय– (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान– (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट–(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले– (48) कोल्ड स्टोरेज–(49) लघु अभियंत्रण उधोग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)– (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य– (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य– (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज– (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें– (54) होटल, भेाजन गृह एवं रेस्तराओं– (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)–कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उधोग– (57) किसी भी विश्वविधालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान– (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी– (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग–(60) पौट्रीज– (61) औटोमोवाईल इंजिनियरिंग शौप्स– (62) हार्ड कोक भट्ठे–(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इल्क्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिंसिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

<u>अनुसूची –II</u>

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	दिनांक–01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक– 01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्वकुशल	247.00+5.00+5.00=257.00	8.00	265.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00=313.00	9.00	322.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00=381.00	11.00	392.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00=7074.00	212.00	7286.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ–4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस विन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से **<u>जुलाई–दिसम्बर,2017</u>** के औसत के आधार पर **<u>अप्रैल,2018</u>** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छ : महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या–5 / एम0डब्लू0–403 / 07 श्र0सं0– 1453)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/3/2018

(मोहन रजक)

अवर सचिव।

28.3.18